धारा-76. सहकारी समिति के निबन्धक का रदद किया जाना.- यदि किसी ऐसी सहकारी समिति के सम्बन्ध में जिसे धारा 72 के अधीन समापित करने का आदेश दिया गया हो, निबन्धक की राय हो कि कोई परिसमापक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है या यदि किसी सहकारी समिति को जिसके लिए कोई परिसमापक धारा 73 के अधीन नियुक्त किया गया हो, कार्य समापित कर दिये हों, तो निबन्धन समिति के निबन्धक को रदद करने का आदेश देगा और उस आदेश के दिनांक से समिति विघटित की गई समझी जायेगी और वह निगमित निकाय के रूप में विद्यमान न रहेगी।